

2021/10

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला-बारां (राज.)

ना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
41/21	136 L.R ACT	वापवा	इ. 59

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
10804/2021		
बलराम	बनाम	राज0 सरकार

कोल :- **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
--------	--------------------	--------------

8/2/21

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट विरुद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण गण को जर्जे सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 17/3/2021 को पेश हो।

OM

17/3/21

पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार इ. 59 से रिपोर्ट/जवाब प्राप्त नहीं हुआ। तहसीलदार को लिखा जाकर रिपोर्ट ली-मोव। पत्रावली वापस रिपोर्ट/जवाब दिनांक 5/5/21 को पेश हो।

OM

5/5/21

कोरोना संक्रमण

अन्य नैतामीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 8/5/21 को पेश हो।

OM

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा),

8/6/21

अन्य नैतामीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 12/7/21 को पेश हो।

OM

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा),

12/7/21

अन्य नैतामीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 12/8/21 को पेश हो।

OM

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा),

17/08/21

पत्रावली कोविड 19 के कारण पूर्ववत् स्थिति में आज
पेश हुई। तहसीलदार इका से रिपोर्ट/जवाब प्राप्त
नहीं हुआ। पत्रावली वाले तहसीलदार रिपोर्ट/जवाब
दिनांक 27/9/21 को पेश हो।

गो. प्र. 3/1
3/1

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 जिले अप केम्प गा. प्र. वी.पंचा

3/22

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 के
द्वितीय शिबिर जिले अप केम्प गा. प्र. वी.पंचा
पर पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्र. प्र. मं. राजीव
अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम वी.पंचा
के रजिस्ट्रार से 56 व 59 में प्रार्थी का कुम. 1 व 2
का नाम कलशम पुत्र ककरलाल एवं गंगाविश्व
पुत्र ककरलाल के स्थान पर गोलू एवं विष्णु
नामालिखों के बालक नाम दर्ज करके रिपोर्ट में
दर्ज कर दिये गए हैं। अतः गोलू का सही नाम कलशम
है तथा विष्णु का सही नाम गंगाविश्व है। शजस्व
रिपोर्ट में अशुद्ध नामों को शुद्ध करने की कृपा करें।
उक्त प्रकरण द्वारा 136 L.R. Act में दर्ज कर TOR
इका से रिपोर्ट ली गई।

तहसीलदार इका से रिपोर्ट प्राप्त
हुई। तहसीलदार इका ने अपनी रिपोर्ट में बताया
कि ग्राम वी.पंचा में नामा. नं. 1557 दिनांक 28.5.2012
से कलशम ककरलाल के वारिसों का फाती नामा-वकरण
रजिस्ट्रार से गोलू व विष्णु नामों दर्ज है। विष्णु का
सही नाम गंगाविश्व एवं गोलू नाम का सही नाम
कलशम है। गोलू एवं कलशम दोनों एक ही व्यक्ति
हैं एवं विष्णु व गंगाविश्व अभी एक ही व्यक्ति का
नाम है। दोनों बालक वर्तमान में बालक हो गए हैं।

इति: राजस्व रिकार्ड में गोलू के स्थान पर गोलू उर्फ वलराम एवं विष्णु के स्थान पर गंगारिशन उर्फ विष्णु दर्ज करने की अनुशंसा की जाती है।

मुताबिक तहसीलदार इकडा की अनुशंसा के आधार पर श्री. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम विष्णु के स्वामता संख्या 59, 60, 62 व 63 में प्राचीन गणों का अशुद्ध नाम गोलू के स्थान पर गोलू उर्फ वलराम एवं विष्णु के स्थान पर विष्णु उर्फ गंगा रिशन पुत्रान केवल राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त करने के आदेश तहसीलदार इकडा को दिये जाते हैं। आदेश प्रक से जारी हो। तहसीलदार इकडा तदुक्ति पालना सुनिश्चित करें। प्रकली में शत्रुशुकर शंकर दारिकल दफ्तर है।

उपखण्ड अधिकारी
उबड़ा जिला बरौ (राज.)

“प्रशासन गाँव के संग अभियान-2021”

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

दुबड़ा जिला बारां (राज.)

—: आदेश :-

प्रार्थी के “खाता दुरुस्ती” प्रार्थना पत्र एवं पटवारी.....बापचा.....व भू.अ.नि. बापचा..... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार दुबड़ा / घासब तहसीलदार बापचा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम.....बापचा.....तहसील दुबड़ा जिला बारां की जमाबन्दी सम्वत्.....2073-76.....में खाता संख्या 59, 60, 62, 63 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	बापचा	60 59 62 63	गोलू विष्णु (पुत्रान कवरलाल)	गोलू उर्फ कलराम विष्णु उर्फ गंगाविशान पुत्रान कवरलाल



(सुरेश कुमार हेरसोलिया)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
दुबड़ा जिला बारां (राज.)

क्रमांक/रीडर/लोक अदालत/2022/.....

दिनांक...03.06.2022.....

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार.....दुबड़ा.....को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री कलराम पुत्र कवरलाल निवासी बापचा.....को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
दुबड़ा जिला बारां (राज.)